

(120)

Licence F.L. 41

No. 4246 /Do-805A(115)/313 Allahabad: Dated: February, 02 2007

Licence for possession of denatured spirit including specially denatured spirit for use in industries in which alcohol is used as solvent or vehicle directly and appears to some extent in the final product, such as lacquers, varnishes, etc.

Licence is hereby granted and issued to M/S. Aqua Inks, Khasra No, 355 Pandav Nagar, Industrial Area, Ghaziabad (U.P.) to possess 5000 bulk litres Monthly or 60,000 bulk litres Yearly of denatured spirit including specially denatured spirit (hereinafter referred to as spirit) in the manufacture of Ink & Ink Reducer district Ghaziabad during the period from 29 January 2007 to 31 March 2011 subject to the provisions of the U.P. Licences for the possession of Denatured Spirit and Specially Denatured Spirit for Industrial purpose Rules, 1976 infraction of any of which or a conviction for any offence under the Excise/Opium/Dangerous Drugs laws render the licensee liable to cancellation of the licence in addition to any penalties imposed under the above laws.

Description of the licensed premises.

- 1- East - Farm House of Shri Mahesh Prasad
- 2- West- Manav Breweries
- 3- North- Mohit Marbel
- 4- South- N.H.-24


(Gajendra Pal)
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

for
10

अनुज्ञापन एफ0एल0-41

संख्या- 3577/दो-805ए(111)/309/इलाहाबाद:दिनांक:दिसम्बर 7, 2006

ऐसे उद्योगों में प्रयोग के लिए जिनमें अल्कोहल विलायक (साल्वेंट) या वाहक (वेहिकल) के रूप में अथवा प्रत्यक्ष रूप में प्रयोग किया जाता है और अपने उत्पाद में कुछ सीमा तक प्रलक्षारस(लेकर) वार्निश आदि की तरह प्रतीत होता है।

मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0, पी0ओ0एल0 डिपो, भौती, कालपी रोड, जनपद कानपुर को पेट्रोल में 5 प्रतिशत एब्सोल्यूट अल्कोहल का मिश्रण किये जाने हेतु दिनांक 7.12.2006 से 31.03.2011(वर्ष 2006-07 से 2010-11) तक की अवधि के लिए प्रति 100 लीटर एब्सोल्यूट अल्कोहल को 4.0 ग्राम डिनाटोनियम बेन्जोएट तथा 0.2प्रतिशत कोटन एल्डिहाइड से विकृत कर 1,600(एक हजार छः सौ) के0एल0 वार्षिक कोटा, जिसके अन्तर्गत विशिष्टतया विकृत स्पिरिट भी है (जिसे एतदपश्चात स्पिरिट कहा गया है) अपने कब्जे में रखने के लिए लाइसेन्स उत्तर प्रदेश विकृत स्पिरिट तथा विशिष्टतया विकृत स्पिरिट कब्जे में रखने के लिए लाइसेन्स नियमावली, 1976 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए एतद्वारा स्वीकृत तथा जारी किया जाता है, जिनमें से किसी उपबन्ध का उल्लंघन अथवा आबकारी/नारकोटिक्स विधियों के अधीन दोष सिद्ध लाइसेन्सधारी को किन्हीं भी उन शास्तियों के अतिरिक्त जो उपर्युक्त विधियों के अधीन आरोपित की जाय, उनका लाइसेन्स रद्द किये जाने योग्य बना देगी।

भू-गृहादि का विवरण

- 1-पूरब - खुला मैदान
- 2-पश्चिम - खुला मैदान
- 3-उत्तर - देहली रेलवे लाईन
- 4-दक्षिण - भौती सुरर रोड

(गजेन्द्र पाल)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

इकाई को स्वीकृत क्षमता 1600 कि0 ली0 से बढ़ाकर 2200 {दो हजार दो सौ} कि0ली0 वार्षिक किया जाता है।

[दीपक अग्रवाल]
वरिष्ठ प्राविधिक अधिकारी,
आबकारी आयुक्त, उ0प्र0।